

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में माननीय स0वि0स0 श्री अखतरुल इस्लाम शाहीन, समस्तीपुर विधान सभा द्वारा समस्तीपुर जिला अन्तर्गत सदर अस्पताल, समस्तीपुर हेतु निम्नांकित चिकित्सकीय सामग्रियों/उपकरणों का पाँच लाख रुपये तक क्रय कर आपूर्ति करने हेतु अनुशंसा की गई है।

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Semi Fowler Bed | 2. Semi Fowler Bed Mattress | 3. Infrared Thermometer |
| 4. Pulse Oximeter | 5. Examination Gloves | 6. PPE Kit |
| 7. 3 PLY Face Mask | 8. Oxygen Mask Adult | 9. Oxygen Mask Pediatric |
| 10. Nebulizer | 11. Nebulizer Mask Adult | 12. Nebulizer Mask Pediatric |

उक्त अनुशंसा के आलोक में चिकित्सकीय सामग्री के आपूर्ति हेतु निबंधित निविदादाता से मुहरबन्द निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) दो अलग-अलग लिफाफों में बन्द कर एक बड़े लिफाफा में दोनों निविदा को डालकर सीलबन्द कर बड़े अक्षरों में "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत चिकित्सकीय उपकरण/सामग्री हेतु निविदा" लिखा हो, निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा की विस्तृत जानकारी जिला के वेबसाईट www.samastipur.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। दिनांक 16.11.2021 को 01:00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर में मुहरबंद निविदा प्राप्त किया जायेगा एवं उसी दिन 03:00 बजे अपराह्न में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष निविदा खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। निविदा में निम्न शर्तों का अनुपालन आवश्यक है :-

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें:-

1. तकनीकी निविदा में 10000.00 (दस हजार रुपये) मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, समस्तीपुर के पदनाम से हो एवं समस्तीपुर में भुगतान योग्य हो, अग्रधन राशि के रूप में संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. GST में निबंधन से संबंधित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा। मार्च 2021 तक अद्यतन GST रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगा।
4. तीन वर्षों का आयकर यथा वर्ष 2017-18, 2018-19, एवं 2019-20 का आयकर रिटर्न की प्रति एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को समरूप कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र की एवं कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
6. तीन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, एवं 2019-20 में औसतन टर्न ओवर 50.00 लाख (पचास लाख) रुपये का होना अनिवार्य है (सत्यापन के लिए चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण Profit & Loss Account और Balance Sheet संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता को ISO प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ-पत्र मूल प्रति में संलग्न करना होगा।
9. आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. आचरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति (पुलिस अधीक्षक) द्वारा निर्गत संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें:-

11. वित्तीय निविदा में उपलब्ध अनुशंसित सूची के अनुसार सभी चिकित्सकीय उपकरणों/सामग्री का नाम एवं प्रति इकाई दर, कर आपूर्ति एवं अधिष्ठापन सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्तें:-

12. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा। न्यूनतम दर के आधार पर L-1 निर्धारित किया जाएगा।
13. निर्धारित निविदा दर निर्धारण की तिथि से पूरे चालू वित्तीय वर्ष के लिये अनुमान्य होगा।
14. सभी चिकित्सकीय उपकरणों/सामग्री की आपूर्ति सदर अस्पताल, समस्तीपुर में किया जाएगा एवं आपूर्ति से संबंधित प्राप्ति रसीद के साथ विपत्र भुगतान हेतु समर्पित किया जायेगा।
15. कार्यादेश के अनुरूप सभी चिकित्सकीय उपकरणों/सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय-सीमा के अन्दर सुनिश्चित किया जाएगा। किसी प्रकार का भाड़ा देय नहीं होगा।
16. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य होंगी।
17. विवाद की स्थिति में समस्तीपुर, व्यवहार न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
18. बिना कारण बताये निविदा को आंशिक/पूर्णतः स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

उप विकास आयुक्त,
समस्तीपुर।